

23/12

Registered post

To  
The District Judge  
Hamirpur

Recd: 5/12/04

27

NO 18346 /IV-2942 /AdminA dt 15-12-04.

Subject - Regarding grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme to Sri Subhash Chandra, Civil Judge (Jr. Div) Maudha, Hamirpur.

Sir with reference to your endorsement NO. 1063/IST-D.2004 dt 7.9.2004 forwarding therewith application dt. 6.6.02 of Sri Subhash Chandra Civil Judge (Jr. Div) Maudha, Hamirpur on the above subject I am directed to enclose herewith proforma of declaration (two leaves) for grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme and to request you kindly to ask Sri Subhash Chandra to resubmit the same (in original) to the Court at an early date duly filled up in all respects alongwith attested copy of certificates so that further necessary action may be taken in the matter.

DR (M)

may kindly see the DJ Hamirpur endorsement NO 1063 dt 7.9.04 and issue the draft

Dr. Saini

07.12.04

R. Maudha

7.12.2004  
8.12.04

Registrar (B)

May like to approve  
Sonwalava  
8/12/04

encl - Proforma of declaration (two leaves)

Yours faithfully  
Sonwalava  
Deputy Registrar

28

NO 18347 /IV-2942 /AdminA dt 15-12-04

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Subhash Chandra Civil Judge (Junior Division) Maudha, Hamirpur

approved

Sonwalava  
09/12/04

Issue  
Sonwalava  
9/12/04

Sonwalava  
Deputy Registrar

Request 92

21-9-04  
17/9/04  
(1775)

प्रेषक,

सिविलजज॥जू०डि०॥/मजि०प्रथम श्रेणी,  
माँदहा ॥हमीरपुर॥

15896

सेवा में,

महानिबन्धाक महोदय  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद॥ उ०प्र०॥

ilc  
Serial  
W/2942  
23  
20/9/04  
29-11-04

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
हमीरपुर।

क्रिया:- माननीय जनपद न्यायाधीशरामपुर के माध्यम से स्वेच्छक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेषा प्रोत्साहन भाल्ता स्वीकृतहेतु दिनांक 6-6-02 को प्रेषित किये गये आवेदन पत्र पर अनुस्मारक।

2530  
S.O. Adv. 11/A1  
D.R.(M)  
20-9-2004

आदरणीय महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 6-6-02

को माननीय जनपद न्यायाधीश रामपुर के माध्यम से उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं०4601/16-11-79-9-155-79दिनांक-23-2-1980 के अन्तर्गत स्वेच्छक परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत विशेषा प्रोत्साहन भाल्ता की स्वीकृत हेतु आवेदन दिनांक 6-6-02 को किया गया था। उक्त आवेदन को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

3  
D.R.(M)  
18 SEP 2004

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि

दिनांक- 6-6-02 को प्रेषित किये गये उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

आदरसहित ।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश  
हमीरपुर।

पत्रांक 1063 प्रथम-8-2004  
दिनांक: सितम्बर 7, 2004

दिनांक- 2-9-2004

महानिबन्धाक माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद को अग्रेसरित ।

भावदीय,

सुभाषचन्द्र 2/09/04

Paulraj  
S.K.T.  
20/9/04

Ramesh  
जनपद न्यायाधीश  
जनपद न्यायाधीश  
हमीरपुर (30 प्र०) संलग्नक:-

सिविलजज॥जू०डि०॥/मजि०प्रथम श्रेणी,  
माँदहा॥हमीरपुर॥

दिनांक-6-6-02 को प्रेषित किये गये आवेदन पत्र की नकल कार्वनप्रति।

प्रेषक,

सुभाषा चन्द

अपर सिविल जज अवर वर्ग  
न्यायालय संख्या-1, रामपुर।

Request 92

सेवा में,

माननीय अनूपद न्यायाधीश महोदय,  
रामपुर।

विषय:- स्वच्छक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष  
प्रोत्साहन भात्ता स्वीकृति के संबंध में.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि मैंने विभाग में  
दिनांक 23/05/2001 को सिविल जज अवर वर्ग के पद पर कार्यभार  
ग्रहण किया था। उक्त सरकार के शासनादेश सं० 4601/16-11-  
79-9-155-79 दिनांक 23/02/1980 के अन्तर्गत उन सभी अधिका-  
रियों कर्मचारियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष  
प्रोत्साहन भात्ते के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिये जाने का  
प्रावधान है, जिनके द्वारा अपने परिवार को सीमित किया हुआ है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मैंने अपना परिवार दो  
बच्चों तक सीमित किया हुआ है तथा मेरी पत्नी का परिवार  
कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 25/01/95 को आपरेशन भी  
हो चुका है, जिसके प्रमाण पत्र को छाया प्रति संलग्न है। वर्तमान में  
मेरे परिवार में मेरे दो ही बच्चे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासनादेश के प्रावधानों के  
अन्तर्गत मुझे दिनांक 23/05/2001 से परिवार कल्याण कार्यक्रम के  
विशेष प्रोत्साहन भात्ते के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि रु०  
275/- प्रति माह स्वीकृत कराने की कृपा करें।

सादर।

भावदीय

सुभाषा चन्द

प्रथम अपर सिविल जज अवर वर्ग,  
रामपुर।

26/6/2002